भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 130

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा

130. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन समुदायों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा अब तक अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में बढ़ती हुई अल्पसंख्यक आबादी की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख) संसद द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम XIX) के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) को एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह अधिनियम 17 मई, 1992 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को अधिसूचित किया है। इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने अब तक छः धार्मिक समुदायों नामत: बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।

(ग) से (ङ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई है।

******